

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला-जोधपुर

क्रमांक / राजस्व / कोर्ट /

प्र.स. 211/2025

दिनांक- **9-10-2025**

बनाम

आदेश

तहसीलदार **ओसियां** के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजों नकल जमावड़ी नकल नक्शा पटवारी व भूअनिरीक्षक अभिशापा तहसीलदार **ओसियां** का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार पटवार मण्डल **शकलखोरी** के ग्राम **अरिया** तहसील **ओसियां** के खसरावार

खसरा संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	रास्ते का रकबा हैक्टर	खसरा संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	रास्ते का रकबा हैक्टर
1282	12.6124	0.1307			
1271	9.4211	0.1545			

उपरोक्तानुसार चालू रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु पत्र किया, जो चालू ही संबन्धित पटवारी द्वारा ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही जांच भूअनिरीक्षक एव तहसीलदार **ओसियां** की अभिशापा के अनुसार यह पाया गया कि आवेदन तथा सलग्न नक्शा नकल में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदिमी/स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व नक्शों में दर्शाये अनुसार मौके पर चालू कदिमी/स्थाई रास्ता चालू है। अतः राजस्थान सरकार के राजस्व गुप-6 के परिपत्रक 23/7/राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 में वर्णित निर्देशों अनुसार आवेदक खातेदारान की खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन से शेष कदिमी रास्ते को खातेदारी की खातेदारी में रखते हुए गै.मु.रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एव राजस्व नक्शे में सलग्न नक्शा एव परिशिष्ट ए में वर्णितानुसार करावे। तहसीलदार **ओसियां** इस आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट स अद्यतन करावे।

यह आदेश आज दिनांक

9/10/2025

का मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया


जमिनवार
 सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
 सहायक कलक्टर ओसियां

